

दिनांक 11 फरवरी, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए
निर्यात केन्द्र के रूप में जिला योजना

1186. श्री जी. सेल्वम:

श्री नवसकनी के.:

श्री सी. एन. अन्नादुरई:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) निर्यात केन्द्र के रूप में जिला योजना, इसके उद्देश्य और कार्यान्वयन के वर्ष का ब्यौरा क्या है;
- (ख) सरकार द्वारा इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक जिले में निर्यात संभावना वाले उत्पादों की पहचान करने और उन्हें प्रोत्साहन देने के लिए किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या सरकार ने प्रत्येक जिले में निर्यात संभावना वाले उत्पादों और सेवाओं की पहचान की है;
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसे उत्पादों और सेवाओं की जिलावार सूची का ब्यौरा क्या है;
- (ङ.) इस योजना के अंतर्गत देश के कितने जिलों को सफलतापूर्वक शामिल किया गया है;
- (च) इस योजना के अंतर्गत पहचान किए गए जिलों से निर्यात में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और विगत तीन वर्षों के दौरान निर्यात में हुई वृद्धि का ब्यौरा क्या है; और
- (छ) निर्यात केन्द्र के रूप में जिला योजना के अंतर्गत जिलों के कार्यनिष्पादन की निगरानी के लिए मौजूद तंत्रों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री जितिन प्रसाद)

(क) से (च) निर्यात हब के रूप में जिले (डीईएच) पहल अगस्त 2019 में इस विज़न से शुरू की गई थी कि भारत का प्रत्येक जिला एक छोटे देश की तुलना में निर्यात के लिए आर्थिक क्षमता रखता है। यह पहल देश के सभी जिलों में संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देने के लिए डिज़ाइन की गई थी। डीईएच का उद्देश्य प्रत्येक जिले के उत्पादों की पहचान करना, ब्रांड बनाना और उन्हें बढ़ावा देना, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों बाजारों में उनकी बिक्री को प्रोत्साहित करना है।

डीजीएफटी की निर्यात हब के रूप में जिले पहल के अंतर्गत निर्यात संवर्धन कार्यकलापों का विकेन्द्रीकरण किया जा रहा है ताकि जिलों से चिन्हित किए गए उत्पादों और सेवाओं की निर्यात वृद्धि को बढ़ावा देने में जिलों को सक्रिय हितधारक बनाया जा सके ताकि उनके स्वाभाविक प्रतिस्पर्धात्मक लाभों का लाभ उठाया जा सके। राज्य निर्यात संवर्धन समिति (एसईपीसी) और जिला स्तर पर जिला निर्यात संवर्धन समिति (डीईपीसी) का गठन करके सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में एक संस्थागत तंत्र स्थापित किया गया है। इस पहल ने देश भर के 734 जिलों में निर्यात क्षमता की पहचान की है, जो

कृषि, खेलौने और जीआई उत्पादों जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में फैली हुई है। आपूर्ति श्रृंखला में मौजूदा अवरोधों का विवरण देने और उपरोक्त चिन्हित किए गए उत्पादों और सेवाओं के निर्यात के लिए मौजूदा अंतराल को कम करने के हेतु संभावित उपायों की पहचान करने वाली जिला निर्यात कार्य योजनाएं (डीईपी) 590 जिलों के लिए तैयार की गई है।

इस पहल के तहत पहचाने गए निर्यात क्षमता वाले जिलेवार उत्पादों/सेवाओं की सूची (www.dgt.gov.in/cp) पर उपलब्ध है।

डीजीएफटी ई-कामर्स भागीदारों, सरकारी हितधारकों और उद्योग संघों के साथ मिलकर जिलों में आउटरीच कार्यक्रम आयोजित कर रहा है, ताकि व्यवसायों, एमएसएमई और लघु-स्तरीय निर्यातकों को प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण और सहायता प्रदान की जा सके, जिससे उन्हें निर्यात के रूप में जिले (डीईएच) पहल के तहत वैश्विक बाजारों में सफलता प्राप्त करने में मदद मिल सके।

विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) 2023 के अध्याय 9 में, भारत से सीमापार ई-कॉमर्स निर्यात को सुविधाजनक बनाने पर भी जोर दिया गया है। इसके आलोक में, डीजीएफटी के क्षेत्रीय प्राधिकारी पहल के तहत पहचाने गए निर्यात क्षमता वाले उत्पादों/सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए 'निर्यात हब' के रूप में जिलों के तहत "आउटरीच कार्यक्रम" आयोजित कर रहे हैं। वर्ष 2024 में, ई-कामर्स भागीदारों के साथ सहयोग के परिणामस्वरूप फरीदाबाद, मुरादाबाद, लुधियाना, जोधपुर, बैंगलूर, अहमदाबाद, हैदराबाद, मुम्बई, जमशेदपुर और वाराणसी में मार्च से जून के दौरान 10 जिला निर्यात आउटरीच कार्यक्रम आयोजित किए गए। इन आउटरीच कार्यक्रमों का दूसरा चरण अक्टूबर 2024 और जनवरी 2025 के बीच हावड़ा, जयपुर, हरिद्वार, कानपुर नगर, मदुरै, मिर्जापुर, राजकोट बालासोर, जालंधर, आगरा और मेरठ में सफलतापूर्वक आयोजित किया गया है।

उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) के सहयोग से डीजीएफटी निर्यात संवेदीकरण और संवर्धन कार्यशालाएं आयोजित करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ और जिलों के साथ कार्य कर रहा है। ये कार्यशालाएं वैश्विक व्यापार को नेविगेट करने के लिए हितधारकों को आवश्यक ज्ञान और उपकरणों से लैस करने के लिए डिजाइन की गई है। इसके अलावा, भारत के भीतर और अंतरराष्ट्रीय दोनों स्तर पर ओडीओपी और निर्यात हब के रूप में जिले (डीईएच) पहल के तहत चिन्हित किए गए उत्पादों और सेवाओं की दृश्यता को बढ़ावा देने और वृद्धि के लिए विभिन्न कार्यक्रमों को शुरू किया गया है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इन उत्पादों को बढ़ावा देने के प्रयासों में विदेशों में स्थित भारतीय मिशन के साथ जुड़ाव, वर्चुवल क्रेता-विक्रेता बैठकें और अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनियों में भागीदारी शामिल है। इसके अतिरिक्त, भारत में आयोजित जी-20 बैठकों के दौरान उपहार के रूप में कई ऐसे उत्पादों को शामिल किया गया है, जिसने इन उत्पादों की वैश्विक प्रोफाइल को बढ़ाने में और योगदान दिया है।

यह प्रस्तुत है कि निर्यात हब के रूप में जिले एक पहल है और निदेशालय इस पहल के तहत निर्यात संवर्धन प्रयासों के प्रत्यक्ष प्रभाव को मापने के लिए विशिष्ट निर्यात वृद्धि डेटा नहीं रखता है।

(छ) चूंकि, डीईएच एक पहल के रूप में चल रहा है, इस स्कीम के अंतर्गत जिलों के कार्यनिष्पादन की निगरानी का प्रश्न ही नहीं उठता है।
